न्यायालय उप जिला कलक्टर सैंथल जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी का नामः— नरेन्द्र कुमार मीना (आर0 ए0 एस0)
प्रार्थना पत्र संख्याः— 01/2024
दायर दिनांकः— 05.02.2024
निर्णय दिनांकः— 16.07.2024

उनवान

1. जगदीश पुत्र भैरूलाल जाति जांगिड, निवासी मालियान की ढाणी तहसील सैंथल जिला दौसा

——(प्रार्थी)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा
2. किशनलाल पुत्र भौरया
3. सीताराम पुत्र किशनलाल
4. अनील पुत्र किशनलाल

समस्त जाति गुर्जर, निवासी मालियान की ढाणी तहसील सैंथल जिला दौसा

—(अप्रार्थी)

उपस्थिति :— 1—श्री भरतलाल मीना अधिवक्ता———(प्रार्थी)

प्रार्थना पत्र अं0 धारा 128 एल आर एक्ट
सीमाज्ञान कराकर पत्थरगढी कराने बाबत

निर्णय दिनांक 16—07—2024

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज० भू—राजस्व अधिनियम 1956 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी वाके ग्राम मालियान की ढाणी तहसील सैंथल जिला दौसा का निवासी है तथा काश्तकार पेशा व्यक्ति है। अप्रार्थी संख्या 1 लैण्ड होल्डर की हैसियत से आवश्यक पक्षकार है। अप्रार्थी संख्या 2 से 4 पडौसी खातेदार काश्तकार है, इसलिए पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी खातेदारी की वर्तमान कृषि भूमि वाके ग्राम मालियान की ढाणी तहसील सैंथल जिला दौसा में स्थित खाता संख्या 107 का खसरा नम्बर 1162/762 रकबा 0.09 है०, खसरा नम्बर 1163/764 रकबा 0.57 है०, खसरा नम्बर 759 रकबा 1.55 है०, खसरा नम्बर 755 रकबा 0.49 है. कुल किता 4 कुल रकबा 2.7 है० स्थित है जिसकी खातेदारी वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। इस पर प्रार्थी काबिज रह कर काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी ने अपनी अराजियात का विधिवत रूप से दिनांक 12.05.2023 को सीमाज्ञान भी करा लिया है जिसकी रिपोर्ट संलग्न है। इसके बावजूद भी आस पास के पडौसी काश्तकारान 2 लगायत 4 आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न करते है। काश्त का वक्त नजदीक है इसलिए प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की वास्तविक पैमाइस करा कर पत्थरगढी कराना चाहता है। तहसीलदार सैंथल को आदेश फरमाया जावे की वो राजस्व कर्मचारियों की टीम गठित कर पुलिस सहायता से उक्त भूमि की वास्तविक पैमाइस कर भूमि के चारो तरफ सीमाओं पर पत्थरगढी के निशान कायम कर पत्थर गाढे ताकि कोई सीमाओं सम्बन्धि विवाद ना रहे। न्यायालय श्रीमान को धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत पत्थरगढी के आदेश देने का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

उपखण्ड अधिकारी
सैंथल

उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल आर एक्ट में पेश करने पर प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस जारी कर तलबी की गई। अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार सैंथल द्वारा न्यायालय में जवाब व तथ्यात्मक रिपोर्ट क्रमांकः भू.अ./2024/889 दिनांक 05-07-2024 द्वारा पेश की गई। जिसके अनुसार तहसीलदार सैंथल ने अपनी रिपोर्ट में प्रार्थना पत्र का चरण संख्या 1 प्रार्थी ग्राम मालियान की ढाणी तहसील सैंथल में स्थित आराजी ख.नं. 1162/762 रकबा 0.09 है., खसरा नम्बर 1163/764 रकबा 0.57 है., खसरा नम्बर 759 रकबा 1.55 है. कुल किता 3 कुल रकबा 2.21 है. मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जगदीश पुत्र भैरूलाल जाति जांगिड सा. देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है एवं ख.न. 755 रकबा 0.49 है. इन्द्रा पत्नि रमेश हि., 1/2 कुलदीप पुत्र रमेश हि. 1/2 जाति जांगिड सा. देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। जो सही है, तथा चरण संख्या 2 प्रार्थी स्वयं साबित करे तथा चरण संख्या 3 प्रार्थी स्वयं साबित करे, चरण संख्या 4, 5 व 6 श्रीमान के न्यायालय से सम्बन्धित है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा दिनांक 26.06.2024 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर फसल बुआई के कारण आपत्ति प्रकट की।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड एवम तथ्यात्मक रिपोर्ट का आधोपान्त अध्ययन किया गया। जिसमें पाया गया कि प्रार्थी ने खसरा नम्बर 755 के लिए प्रार्थन पत्र लगाया है लेकिन प्रार्थी उस रकबे का स्वयं काश्तकार नहीं है। खसरा नम्बर 755 इंद्रा पत्नि रमेश हिस्सा 1/2, कुलदीप पुत्र रमेश हिस्सा 1/2 के नाम राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल आर एक्ट आंशिक रूप से खसरा नम्बर 1163/764, 759 एवं 1162/762 जिनका प्रार्थी स्वयं काश्ताकर है, स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल आर एक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सैंथल को आदेश दिये जाते है कि यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन न हो तो प्रार्थी की खातेदारी खसरा नम्बर 1162/762 रकबा 0.09 है., खसरा नम्बर 1163/764 रकबा 0.57 है., खसरा नम्बर 759 रकबा 1.55 है. कुल किता 3 कुल रकबा 2.21 है. स्थित वाके ग्राम मालियान की ढाणी तहसील सैंथल जिला दौसा में मौके पर फसल सरसब्ज न होने की स्थिति में अनुभवी पटवारियों/गिरदावरो की टीम गठित कर पत्थरगढी करवाना सुनिश्चित करे। प्रार्थीगण से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किया जावे। पत्थरगढी से पूर्व तहसीलदार सीमावर्ती काश्तकारो को प्रार्थी के खर्चे पर सूचित करे। उक्त आदेश केवल पत्थरगढी का है जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नहीं सम्भलाया जावे अगर पुलिस जाब्त की जरूरत हो तो पुलिस से समन्वय कर पुलिस/होमगार्ड इमदाद प्राप्त की जावे। पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार सैंथल को भिजवाई जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

16/7/2024

नरेन्द्र कुमार मीना (आर० ए० एस०)
उप जिला कलक्टर
सैंथल, दौसा।

उपखण्ड अधिकारी
सैंथल